

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002682016

दांडिक प्रकरण क.-480 / 16

संस्थापित दिनांक-17.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-विनोद शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा आयु 32 वर्ष 02-श्रीमति रश्मी शर्मा पत्नी विनोद शर्मा आयु 28 वर्ष निवासीगण फूटाकुआ चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री अनिल तिवारी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी उषावाई ने दिनांक 28.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 28.08.16 समय 10:00 बजे फरियादी के घर के पीछे चंदेरी में आरोपीगण आए और बुरी-बुरी गालियां देने लगे। फरियादी के अनुसार रश्मि ने उसे पकड़ लिया तथा विनोद ने उसे मारा जिससे उसे चोट आई। फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506,34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.08.16 को समय 10:00 बजे फरियादी के घर के पीछे चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी उषावाई को माँ वहिन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी उषावाई
3. का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के

अग्रशरण में अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी उषावाई की पत्थर से मारकर एवं नाखून से खरोंचकर स्वेच्छया उपहति कारित

4. की ?

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी उषावाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 उषावाई, अ.सा.2 कान्ता, अ.सा.3 शिवकुमार, अ.सा.4 रामगोपाल, अ.सा.5 डॉ राघवेन्द्र, अ.सा.6 महेन्द्र की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 उषावाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने घर के पीछे खाली जगह में गई थी तब आरोपी रश्मि ने उसे गालियां दी तथा पत्थर से मारा था एवं सिर दीवार में मार दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी विनोद छिप कर देख रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार दोनों आरोपीगण उसके घर के दरवाजे पर मारपीट कर फेंक गये थे। अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी01 के रिपोर्ट उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी विनोद ने उसे पत्थर से मारा था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोका था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

08— अ.सा.2 कान्ता ने अपने कथन में बताया है कि उसने कोई विवाद होते नहीं देखा। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने फरियादी के साथ गाली गलोच की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट करते देखा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोका था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी02 देने से इंकार किया है। अ.सा.3 शिवकुमार शर्मा ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण एवं फरियादिया के बीच कोई वाद विवाद होते नहीं देखा। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण द्वारा फरियादिया की मारपीट करते हुए नहीं देखा है। अ.सा.3 के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादिया का रास्ता रोका था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी दी थी। अ.सा.3 ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है।

09— अ.सा.6 महेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया उसकी मां है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को फरियादी के साथ मारपीट करते हुए देखा था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसकी मां को दरवाजे पर छोड़ गये थे। अ.सा.0.5 डॉ. राघवेन्द्र टाटके ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 27.08.16 को आहत उषावाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत के शरीर पर तीन चोटे आई थी जो शख्त एवं भौतरी वस्तु से आना प्रकट हो रही थी।

10— अ.सा.4 रामगोपाल वर्मा ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्सा मौका प्र0पी04 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के

अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। अ.सा.4 ने अपने कथन में बताया है कि उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखवद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन अपने मन से लेखवद्ध किये थे।

11— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.5 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है उनकी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उनके द्वारा मेडिकल परीक्षण दिनांक 27.08.16 को किया गया है किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार घटना दिनांक 28.08.16 है इस प्रकार आहत को आई चोट एक दिन पहले की प्रकट हो रही है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता कि आहत को दिनांक 28.08.16 को उक्त चोट आई थी। अ.सा.2 एवं अ.सा.3 पक्षद्रोही हो गये हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा.4 मामले का विवेचक है किंतु घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में से मा. अ.सा.1 एवं अ.सा.6 की साक्ष्य अभिलेख पर शेष रह जाती है जिसकी विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया है।

12— अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोका था। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोका था। अ.सा.1 ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी विनोद ने उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी विनोद का नाम गलत लिखा दिया है। अ.सा.6 के अनुसार दोनों आरोपीगण ने मारपीट की थी। इस प्रकार अ.सा.1 एवं अ.सा.6 की साक्ष्य में विरोधाभास है। अ.सा.1 स्पष्ट रूप से अपने कथनों में कह रही है कि विनोद का नाम गलत लिखा गया है। अ.सा.1 के अनुसार आरोपी रश्मि ने उसके साथ गाली गलोच की थी एवं मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी विनोद छिप कर देख रहा था। उपरोक्त कथन से यह प्रकट होता है

कि आरोपी विनोद ने न तो कोई गाली गलोच की और न ही कोई मारपीट की।

13— उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 एवं अ.सा.6 के कथनों में विरोधाभास है किंतु अ.सा.1 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपी रश्मि ने उसके साथ गाली गलोच की एवं मारपीट की थी। यद्यपि प्रकरण में मेडिकल विशेषज्ञ की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि फरियादी को आई चोट एक दिन पहले की है किंतु तब भी फरियादी ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपी रश्मि ने उसके साथ मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि फरियादी ने अपने कथनों में इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोका था। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी प्रकट हो रहा है कि फरियादी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी।

14— इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसके विवेचन से यह प्रकट हो रहा है कि आरोपी विनोद के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। जहां तक आरोपी रश्मि का प्रश्न है उक्त आरोपी के विरुद्ध जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आरोपी के विरुद्ध मामले की फरियादिया ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी रश्मि ने उसके साथ गाली गलोंच की थी और साथ ही मारपीट भी की थी। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन आरोपी विनोद के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा आरोपी रश्मि के विरुद्ध भादवि की धारा 341 एवं 506 भाग दो प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी विनोद को भादवि की धारा 341, 294, 323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी रश्मि को भादवि की धारा 341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी रश्मि को भादवि की धारा 294 एवं 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

15— आरोपी रश्मि को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके

अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

16— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा उक्त अपराध जिस महिला के विरुद्ध कारित किया गया है उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की है तथा वह वृद्ध महिला है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

17— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जाता है तथा हिंसा कारित की जाती है तो तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी रश्मि की आयु लगभग 28 वर्ष है तथा उसका एक छोटा बच्चा भी है। आरोपी का कोई

पूर्व आपराधिक रिकार्ड प्रकरण में संलग्न नहीं है। अतः आरोपी आपराधिक प्रकृति की महिला नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल आरोपी पर पडने की संभावना है बल्कि उसकी संतान पर भी पडने की संभावना है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगी। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगी। उक्त दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

20— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)